31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन "ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा - हरियाणा सरकार (वर्ष 2023 की रिपोर्ट संख्या 3) के मुख्य शब्द

अध्याय I

परिचय

परिचय, ग्रामीण जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति, जल आपूर्ति में शामिल विभाग/इकाइयाँ, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा दायरा, कार्यप्रणाली, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का संगठन।

अध्याय II

अपर्याप्त योजना

नीतियों/योजनाओं का निर्माण, राष्ट्रीय जल नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना, शहरी क्षेत्रों में योजना, संस्थानों के लिए पानी की आवश्यकता, संचालन और रखरखाव योजना, जल सुरक्षा कार्य योजना, गैर-कार्यात्मक योजनाएं, जल कार्यों के लिए विद्युत कनेक्शन।

अध्याय III

अनुचित वित्तीय प्रबंधन

वित्त, बजट और व्यय का अवलोकन, जल शुल्क की गैर-वसूली, सामुदायिक योगदान का संग्रह, राज्य का हिस्सा देर से जारी करना, काम पूरा न होना, राज्य सरकार पर अतिरिक्त देनदारी।

अध्याय IV

पानी की अपर्याप्त आपूर्ति

जल आपूर्ति की मात्रा का आकलन, उपभोक्ताओं को जल आपूर्ति की स्थिति, केस अध्ययन, मीटर कनेक्शन, जल लेखापरीक्षा, वितरण प्रणाली में रिसाव, गैर-राजस्व जल का उत्पादन, रिकॉर्ड का गैर-रखरखाव, पंपिंग मशीनरी की हिस्ट्री शीट।

अध्याय V

आपूर्ति किए गए पानी की खराब गुणवत्ता

पानी की गुणवत्ता, पानी के नमूने, प्रयोगशाला अवसंरचना, समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल, लक्ष्यों का निर्धारण न होना, जनशक्ति की कमी, फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके), भारी धातुएं, सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) ओवर हेड टैंक (ओएचटी) , साफ पानी की टंकियां (सीडब्ल्यूटी)।

अध्याय-VI

स्थिरता और अपर्याप्त निगरानी पर कम जोर

स्थिरता के उपाय, भूजल, जागरूकता कार्यक्रम, सार्वजनिक शिकायतें, जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस), स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना कार्य, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)।